न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 96/2016 (142/2020) *उनवान किरण कंवर बनाम दलपत सिंह*

किरण कंवर पत्नी स्व. श्री शंकर सिंह जाति राजपूत उम्र लगभग 45 साल निवासी ग्राम मुण्डोती तहसील अराई जिला अजमेर राज. —प्रार्थीगण

बनाम

दलपत सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मुण्डोती, तहसील अराई जिला अजमेर राज. व अन्य।

— अप्रार्थीगण

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955</u>

निर्णय दिनांक 14.06.2024

उपस्थितः— वकील उभयपक्ष दौराने बहस

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने पेश किया जिसे दिनांक 12.07.2016 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। संक्षेप में प्रकरण का सार इस प्रकार है कि वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर ने जाहिर किया कि प्रार्थीया ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया है, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी ग्राम मुण्डोती पटवार हल्का मुण्डोती तहसील अराई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 251, 252, 261, 356, 488, 489, 659, 250, 408, 445, 485, 492, 649 कुल किता 13 कुल रकबा 129 बीघा 13 बीस्वा है जिसमें प्रार्थीया का 1/8 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 01 का 1/8 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्तमान में अपने अपने हिस्से पर काबिज है तथा कृषि कार्य कर रहें है किन्तु वादअधीन भूमि का विधिक विभाजन नही होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रार्थीया को उसके हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य नहीं करने देतें है तथा बाधा उत्पन्न करतें है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगणों को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादअधीन भूमि में प्रार्थीया के हक हिस्से में कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:06:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

प्रार्थीगणों के तामिलशुदा सम्मन प्राप्त हुये तथा उनकी ओर से वकील श्री परमानन्द शर्मा एवं महावीर मालाकार ने वकालतनामा पेश किया किन्तु दिनांक 07.06.2024 तक भी जवाब पेश नहीं किया तथा दिनांक 07.06.2024 को जवाब पेश नहीं कर सीधे ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर बहस पूर्ण की।

3. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी के अवलोकन से ताईद है कि वादअधीन भूमि में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 01 का 1/8,1/8 हिस्सा दर्ज है। प्रकरण में अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान साक्ष्य व सुनवाई से तय किये जायेगें किन्तु वादवर्णित भूमि में यदि प्रार्थीया को अपने 1/8 हिस्से में कृषि कार्य करने से रोकना अविधिक है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को वाद में वर्णित भूमि ग्राम मुण्डौती तहसील अरांई स्थित भूमि खसरा संख्या 251, 252, 261, 356, 488, 489, 659, 250, 408, 445, 485, 492, 649 कुल किता 03 कुल रकबा 129 बीघा 13 बीस्वा (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2066 से 2069) का मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक प्रार्थीया के 1/8 हिस्से में कृषि कार्य में मदाखलत उत्पन्न नहीं करने तथा प्रार्थीया के 1/8 हिस्से तक मौके की यथास्थिती बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:06:10 IST
Reason: SelfAttested